

प्रेषक,  
ओम प्रकाश  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर, 2022

विषय:- जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे० आरक्षित वनभूमि के विनियम के सम्बन्ध में गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पालन/प्राप्तमान्द की अनुमति के सम्बन्ध में।

- उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र संख्या-1213/11-सी-FP-UP-REHAB/149021-2021, दिनांक 30.09.2022 का (मूल रूप में) कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
- 2- इस संबंध में नुझे यह कहना पना निर्देश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न बिन्दुओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट करत हुए संगत अभिलेखों सहित आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-
- 1- विषयगत प्रस्ताव विनियम से संबंधित है अथवा लीज ? प्रस्ताव में ग्राम को बाह्यस्त क्षेत्र में से ऊंचे क्षेत्र में शिफ्टिंग किये जाने से संबंधित प्रतीत होता है। इस संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में भारत सरकार के सुसंगत दिशा-निर्देश स्पष्ट करें।
  - 2- आपके पत्र दिनांक 30.09.2022 के दिनु 9 में शानतुत्व गैर वनभूमि की वानिकी उपयुक्तता के ग्राह्यता पर भी आख्या प्रस्तुत की जाय।
  - 3- मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० को संबोधित जिलाधिकारी, औरैया के पत्र दिनांक 22.08.2022 में उल्लिखित भूमि प्रबंधक समिति द्वारा विधिवत् प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त विनियम प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का कथन अंकित है। क्या इस संबंध में वन विभाग के नियमों/अधिनियमों से अवगत कराया गया था।
  - 4- वन भूमि के विनियम की अनुम्यता के संबंध में प्रावधान स्पष्ट करें ?

संलग्नक- यथावत।

भवदीय,  
  
(ओम प्रकाश)  
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदर्थ :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।
- 3- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, तहसीलदार, राजस्व विभाग, औरैया।

आज्ञा से,  
  
(ओम प्रकाश)  
अनु सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1348 /11सी- FP/UP/REHAB/149021/2021 दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 12, 2022

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, तहसीलदार, राजस्व विभाग, औरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।